न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

निगरानी प्रकरण संख्या 36 / 22

1. संतोख सिंह पुत्र श्री महल सिंह जाति जटसिख उम्र 40 वर्ष निवासी चक 47 एफ तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

1. ग्राम पंचायत 50 एफ (रूपनगर) तहसील करणपुर।
2. कमल मनवानी पुत्र श्री रेवाचंद पुत्र जयसिंह मल जाति सिंधी निवासी सिंधी मंदिर के पास, वार्ड संख्या 18, श्रीकरणपुर।
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 47 एफ तहसील करणपुर।

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पचांयतीराज अधिनियम

1. श्री जसवीर सिंह मिशन, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री तेजा सिंह संधू एडवोकेट, अप्राथी संख्या 02, 3 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता

|| निर्णय || दिनांक: 16.06.2023

निगरानीकर्ता द्वारा अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पचांयती राज अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ निगरानी पेश की गई है, जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता चक 47 एफ तहसील करणपुर का स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता व अन्य ग्रामवासियों के बच्चे इसी गांव में स्थित स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। स्कूल के पास विद्यालय भवन आदि के अलावा बच्चो के खेलकूद आदि के लिए करीब 200 गुणा 100 फुट जगह होने से बच्चे खेलते आये, इस भूमि पर नाजायज कब्जा होने तथा नाजायज कब्जा को हटवाने के लिए गांववासियों द्वारा कार्यवाही करने पर पता चला कि स्कूल के बच्चों को खेलने के मैदान की जगह 100 गुणाा 100 फीट का पट्टा अप्राथी संख्या 2 द्वारा तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके गलत तरीके से पट्टा दिनांक 20.04.1990 को जारी करवाया गया। ग्राम पचांयत 50 एफ (रूपनगर) अप्राथी संख्या 01 सरपंच द्वारा व सचिव द्वारा अपने लैटरपेड पर दिनांक 29.07.2022 को लिख कर दिया कि गांव 47 एफ का अहाता नंबर 136, 137 दिनांक 01.09.1976 को प्राथमिक पाठशाला 47 एफ स्कूल ग्राउण्ड के लिये थी और अहाता नंबर 136, 137 से संबंधित रिकॉर्ड 1989 से 1994 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है जबकि अहाता संख्या 136, 137 दोनो दिनांक 20.04.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत अप्राथी संख्या 01 द्वारा काटे गये थे। उपरोक्त जगह न केवल अत्यधिक कीमती है बल्कि बच्चों के खेलने के मैदान की जगह है। यदि आबादी की जगह भी होती तो भी इस प्रकार कीमती जगह को केवलमात्र 200 रूपया जरिये रसीद संख्या 24 दिनांक 20.04.1990 से राशि जमा होने पर दर्ज कर पट्टा जारी किया गया है जबकि पट्टा किसी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा सकता था, अतः तत्कालीन सरंपच ने अपने पद का दुरूप्योग कर पंचायत कार्यालय को भी अत्यधिक हानि पहुंचायी है। नीलामी आम में आबादी भूमि को विक्रय करने के लिए नियमो के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर आवश्यक आपति नोटिस जारी करना व ढस्या तथा ढोल बुनियायदी आदि ऐसा प्रचार कुछ भी नहीं किया गया। पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर नीलामी की पुष्टि करवाकर ही राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकता है परन्तु उक्त मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अपनायी गयी और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तीन रोज की बोली व किसकी बोली अधिक आयी ऐसा कोई कहीं भी दर्ज नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि यह पट्टा 137 नंबर गलत व फर्जी तरीके से जारी किया गया है और 137 नंबर अहाता का जब पट्टा बनाया गया तो उसमें गवाह के रूप में दर्शन सिंह के हस्ताक्षर है। वह दर्शन सिंह के हस्ताक्षर नहीं है जिसका हलफनामा दर्शन सिंह ने दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की जगह किसी भूखण्ड को विक्रय किया जाता है तो उसके लिए सर्वप्रथम मीटिंग व कमेटी की जांच रिपोर्ट कब्जा आदि की रिपोर्ट मंगवाकर प्रस्ताव पास कर नीलामी की कार्यवाही की जाती है। उक्त पट्टा जारी करने में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। अतः पट्टा की वैद्यता की जांच कर पट्टों को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि निगरानीकर्ता चक 47 एफ तहसील करणपुर का स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता व अन्य ग्रामवासियों के बच्चे इसी गांव में स्थित स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। स्कूल के पास विद्यालय भवन आदि के अलावा बच्चो के खेलकूद आदि के लिए करीब 200 गुणा 100 फुट जगह होने से बच्चे खेलते आये, इस भूमि पर नाजायज कब्जा होने तथा नाजायज कब्जा को हटवाने के लिए गांववासियों द्वारा कार्यवाही करने पर पता चला कि स्कूल के बच्चों को खेलने के मैदान की जगह 100 गुणाा 100 फीट का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तत्कालीन सरंपच ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके गलत तरीके से पट्टा दिनांक 20.04.1990 को जारी करवाया गया। ग्राम पचांयत 50 एफ (रूपनगर) अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच द्वारा व सचिव द्वारा अपने लैटरपेड पर दिनांक 29.07.2022 को लिख कर दिया कि गांव 47 एफ का अहाता नंबर 136, 137 दिनांक 01.09.1976 को प्राथमिक पाठशाला 47 एफ स्कूल ग्राउण्ड के लिये थी और अहाता नंबर 136, 137 से संबंधित रिकॉर्ड 1989 से 1994 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है जबकि अहाता संख्या 136, 137 दोनों दिनांक 20.04.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा काटे गये थे। उपरोक्त जगह न केवल अत्यधिक कीमती है बल्कि बच्चों के खेलने के मैदान की जगह है। यदि आबादी की जगह भी होती तो भी इस प्रकार कीमती जगह को केवलमात्र 200 रूप्या जरिये रसीद संख्या 24 दिनांक 20.04.1990 से राशि जमा होने पर दर्ज कर पट्टा जारी किया गया है जबकि पट्टा किसी प्रकार से विक्रय नहीं किया जा सकता था, अतः तत्कालीन सरंपच ने अपने पद का दुरूप्योग कर पंचायत कार्यालय को भी अत्यधिक हानि पहुंचायी है। नीलामी आम में आबादी भूमि को विक्रय करने के लिए नियमों के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर आवश्यक आपति नोटिस जारी करना व चस्पा तथा ढोल बुनियायदी आदि ऐसा प्रचार कुछ भी नहीं किया गया । पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास कर नीलामी की पुष्टि करवाकर ही राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकता है परन्तु उक्त मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तीन रोज की बोली व किसकी बोली अधिक आयी ऐसा कोई कहीं भी दर्ज नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि यह पट्टा 137 नंबर गलत व फर्जी तरीके से जारी किया गया है और 137 नंबर अहाता का जब पट्टा बनाया गया तो उसमें गवाह के रूप में दर्शन सिंह के हस्ताक्षर है। वह दर्शन सिंह के हस्ताक्षर नहीं है जिसका हलफनामा दर्शन सिंह ने दिया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की जगह किसी भूखण्ड को विक्रय किया जाता है तो उसके लिए सर्वप्रथम मीटिंग व कमेटी की जांच रिपोर्ट कब्जा आदि की रिपोर्ट मंगवाकर प्रस्ताव पास कर नीलामी की कार्यवाही की जाती है। उक्त पट्टा जारी करने में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। इस प्रकार निवेदन किया है कि पट्टो की वैद्यता की जांच की जाकर पट्टों को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अहाता संख्या 137 दिनांक 20.04.1990 को प्रस्ताव संख्या 06 की कम संख्या 12 पर आवंटी रेवाचन्द को को विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटन किया गया है। उक्त अहाता सन् 1990

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

विधिवत् बोली प्रकिया अपनाई जाकर जरिये बोली रेवाचन्द पुत्र जयसिंहमल जाति सिंधी द्वारा अधिकतम बोली 200/–रूपये होने पर उक्त अहाता आवंटन किया गया था। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति जटसिख द्वारा उक्त अहाता जरिये बैयनामा दिनांक 16.12.2010 को कय किया गया है। निगरानीकर्ता संतोख सिंह के कथनानुसार उक्त भूमि स्कूल का ग्राउण्ड है जबकि स्कूल प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग की किसी भी संस्था को उक्त निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा रंजिशवंश मुझ प्रार्थी को परेशान करने के नियत से निगरानी दायर की गई जबकि अहाता संख्या 137 वर्ष 1990 को सरपच ग्राम पचांयत 50 एफ द्वारा विधिवत् प्रकिया अपनाई जाकर आवंटित किया गया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2023 कें अंतर्गत मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किए कि–

1. यह निगरानी ग्राम पंचायत 50 एफ के आदेश दिनांक 20.04.1990 के विरूद्ध पेश की गयी है जो कि 32 वर्ष बाद पेश की गयी है। साथ ही निगरानीकर्ता द्वारा मियाद में छूट हेतु धारा 5 का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया, अतः निगरानी पोषणीय नहीं है, खारिज करने योग्य है।

2. अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा दूसरे प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2023 पर बहस करते हुए कथन किया है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करते समय पंचायत आदेश दिनांक 20.04.1990 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की, अतः निगरानी चलने योग्य नहीं है।

3. अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता द्वारा आगे कथन किये गये कि यह निगरानी किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है क्योंकि निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता का प्रश्नगत भूमि में कोई हक/अधिकार निहित नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा तृतीय पक्षकार के रूप में निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली गयी। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं है। यह निगरानी चलने योग्य नहीं है। पंचायत रिकॉर्ड से यह साबित है कि ग्राम पंचायत 47 एफ के अहाता संख्या 137 दिनांक 20.04.1990 को प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा आवंटी रेवाचन्द को विधिवत् बोली प्रकिया अपनाई जाकर अधिकतम बोली पर यह भूखण्ड आवंटित किया गया था। रसीद बुक में भी इसकी प्रविष्टि है। रेवाचंद द्वारा उक्त भूखण्ड को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति जटसिख को दिनांक 16.12.2010 को विकय किया गया था। अतः पंचायत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी खारिज योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि निगरानीधीन आदेश दिनांक 20.04.1990 को पारित किया गया है जबकि निगरानी 32 वर्ष बाद दिनांक 04.08.2022 को प्रस्तुत की गयी है एवं निगरानी के साथ में आदेश दिनांक 20.04.1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की गयी। निगरानीकर्ता द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड में उनका हित किस प्रकार निहित है। तृतीय पक्षकार के रूप में निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति भी नही ली गयी। यद्यपि निगरानी प्रस्तुत करने में कोई मियाद निर्धारित नहीं है परन्तु निगरानी प्रस्तुत करने हेतु reasonable time होना आवश्यक है। उक्त निगरानी 32 वर्ष बाद पेश की गयी है एवं विलम्ब माफी हेतु भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। **इस संबंध में मियाद अधिनियम की धारा 137 एवं न्यायिक दृष्टांत 2019 डीएनजे(एससी)1067 में निर्देश है कि** *"No periods of limitation prescribed under the act- provision article 137 of limitation act would apply"* **जहां मियाद निर्धारित नहीं है वहां आवेदन हेतु प्रोदभूत होने से 3 वर्ष की अवधि मियाद मानी जावेगी।**

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी मियाद बाहर, प्रमाणित प्रतिलिपि के बिना प्रस्तुत करने एवं तृतीय पक्षकार के रूप में बिना अनुमति लिए प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

की गयी है। निगरानीकर्ता का प्रश्नगत भूखण्ड में कोई हित निहित नहीं है। निगरानी प्रस्तुत करने में विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः यह निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। विद्यालय प्रबंधम समिति/संबंधित शिक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः निगरानीकर्ता निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पुनः लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner